आयोजनागत

संख्याः 104 XI/2010 56(22)/2010

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 09—अगस्त,2010

विषय— वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए अबचनबद्ध मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 980/5—लेखा/एन0आर0ई0जी0ए0/राज्य स्तरीय प्र0/2009—10 दिनॉक 24—6—2010 के क्रम में शासनादेश संख्या 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 एवं शासनादेश 276/XXVII(1)/2010 दिनांक 25 मई,2010 तथा शासनादेश संख्याः 721/XI/2010 56(22)/ 2010 दिनॉक 24मई,2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के आयोजनागत पक्ष की अबचनबद्ध मानक मदों में प्राविधानित धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 1250 हजार (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों /. प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

1 निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि की फॉट आयुक्त ग्राम्य विकास पौडी द्वारा अविलम्ब कर धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेगें।
2 यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्वतन पर रखी गयी धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त की जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण— वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0—17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. बजट प्राविधान के किसी भी लेखाशीर्षक/ मानक मद के अन्तर्गत प्राविधान/स्वीकृति की सीमा तक ही व्यय किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। अतः बजट प्राविधान/स्वीकृति से अधिक किसी भी दशा में न व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/ दायित्व सृजित किया जाय।
4. **छठे वेतन आयोग की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय 30 प्रतिशत वेतन/ पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि का भुगतान वित्त विभाग के आदेशाानुसार किया जायेगा।**
5. आयोजनागत पक्ष की नई योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति परिव्यय व बजट प्राविधान को दृष्टिगत करते हुए नियोजन/ वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।
6. निर्माण कार्य की लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाय। इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेंजिग (त्रैमास के आधार पर) उपलब्ध करायी जाय।
8. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गन्त धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स,2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. जिन अनुदानों में राजस्व अथवा पूँजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष, 2010–11 में एकमुश्त व्यवस्था का प्राविधान है, ऐसी स्वीकृतियों को जारी किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल के पैरा–94 मे उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. प्रत्येक **माह की 05 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/वाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रॉश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।**

12. जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, में विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करेगें। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय ताकि इन के अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई /विलम्ब न हो।
13. विशेष रूप से वे विभाग जहॉ केन्द्रीयित क्रय प्रकिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाने हैं, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही एक प्रोक्योरमेनट प्लॉन बना लिया जाय एवं इसी प्रकार पूँजीगत कार्यों का भी एक एक्सन प्लान तैयार कर वित्त/ नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध कराया जाय।
14. विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष निर्धारित प्रकिया के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत ही तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही अस्थायी रूप से उपसुल द्वारा अर्ह कार्मिकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया हों तथा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध लिया गया हो।
15. मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और आयोजंनागत / आयाजनेत्तर पक्ष में बचत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय।
16. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उन्में स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय।
17. बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम0–17 पर आंवटन संबंधी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण– वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशिंयां पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे। अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नही किया जायेगा। जिसके लिए संबंधित उत्तरदायी होंगें।
18. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/ व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनोदशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगें।
19. निर्वतन पर रखी जां रही धनराशि का उपयोग दिनॉक 31–3–2011 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

20. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

2– इस संबंध होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अधीन संलग्नक में उल्लिखित अनुदान संख्या–19. के तहत आयोजनागत लेखाशीर्ष के अधीन मानक मदों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 169(P)/XXVII-4/2010 दिनॉक 30 जुलाई,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या: 1032 (1)/XI/10 56(22 10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेंस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी/ देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, पौड़ी/ देहरादून।
6– मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, पौड़ी/ देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेंखा, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– एंन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल
13– अधि0 निदे0 एस, एन0 आर0 डी0 ओ0 एस0 प्रोजेक्ट

आज्ञा से,

संलग्नक– यथोपरि।

(एस0एस0 तोमर)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 1052 /XI/2010 56(22)/2010 दिनॉक 04 अगस्त,2010 का संलग्नकः–

(रू0 हजार में)

लेखा शीर्षक मदवार	आयेजनागत	आयोजनेत्तर
अनुदान संख्या–19 आयोजनागत		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
102 सामुदायिक विकास		
18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना		
01 वेतन	0	0
03 मंहगाई भत्ता	0	
04 यात्रा व्यय	100	
06 अन्य भत्ते	0	
08 कार्यालय व्यय	50	
09 विधुत देय	0	
10 जल कर/जल प्रभार	0	
11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50	
12 कार्यलय फर्नीचर एवं उपकरण	100	
13 टेलीफोन पर व्यय	0	
15 गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	0	
16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	
17 किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	0	
19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	
26 मशीनें और सजजा/उपकरण और संयंत्र	250	
42 अन्य व्यय	100	
योग– 18	1250	
योग 102	1250	
योग 2515	1250	0

(रूपयें बारह लाख पचास हजार मात्र)

(एस0एस0 तोमर)
संयुक्त सचिव